भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1378
जिसका उत्तर दिनांक 14.12.2023 को दिया जाना है

कुडनकुलम विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली का तमिलनाडु को आबंटन

1378 डा. अंबुमणि रामादॉस :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र की यूनिट 1 और 2 से तमिलनाडु को दी गई बिजली का ब्यौरा क्या है और 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली आगामी प्रत्येक 3, 4, 5 और 6 इकाइयों में प्रस्तावित बिजली आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र की सभी इकाइयों से शत-प्रतिशत बिजली के आबंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :</u>

(क) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्रों सहित) द्वारा उत्पादित विद्युत का आबंटन विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा क्षेत्र के विभिन्न लाभार्थी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को किया जाता है। वर्तमान में, तमिलनाडु को प्रचालित केकेएनपीपी-1 (1000 मेगावाट) से लगभग 57.5% और केकेएनपीपी-2 (1000 मेगावाट) से 56.25% की हिस्सेदारी (वाणिज्यिक + अनाबंटित) दी गई है। आगामी इकाइयों अर्थात केकेएनपीपी-3 व 4 (2X1000 मेगावाट) एवं केकेएनपीपी-5 व 6 (2X1000 मेगावाट) से बिजली के आबंटन के संबंध में, विद्युत मंत्रालय उचित समय पर निर्णय लेगा।

(ख) व (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

* * * * *